

DLF LIMITED

DLF Gateway Tower, R Block,
DLF City Phase – III, Gurugram – 122 002,
Haryana (India)
Tel.: (+91-124) 4396000, investor-relations@dlf.in



26th May 2026

The General Manager Dept. of Corporate Services BSE Limited P.J. Tower, Dalal Street, Mumbai – 400 001	The Vice-President National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai – 400 051
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sub: Newspaper Publication

Dear Sir/ Madam,

In compliance with Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, kindly find enclosed herewith copies of Newspaper publication regarding Notice to shareholders whose equity shares are eligible for transfer to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority.

This is for your kind information and record please.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **DLF Limited**

R. P. Punjani
Company Secretary

Encl.: As above

For Stock Exchange's clarifications, please contact:- Mr. R. P. Punjani – 09810655115/ punjani-rp@dlf.in Ms. Nikita Rinwa – 09069293544/ rinwa-nikita@dlf.in

DLF LIMITED

Regd. Office: Shopping Mall, 3rd Floor, Arjun Marg,
Phase-I, DLF City, Gurugram - 122 002 (Haryana)
CIN : L70101HR1963PLC002484
Tel.: +91-124-4334200
Website : www.dlf.in; Email : investor-relations@dlf.in

**NOTICE**

**For transfer of equity shares to the Investor
Education and Protection Fund (IEPF) Authority
[As per Section 124(6) of the Companies Act, 2013]**

This notice is published pursuant to the applicable provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and subsequent amendment(s) thereto (the 'IEPF Rules') and provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 (the 'Act') which outlines the provisions for transfer of equity shares in respect of which dividend remains unclaimed for seven consecutive years or more to the IEPF Authority.

In compliance with the IEPF Rules and the Act, individual communication has simultaneously been sent to all the Shareholders at their latest available address, whose dividend amount(s) since the financial year 2018-19 remain unclaimed for 7 (seven) consecutive years and whose equity shares are liable to be transferred to the IEPF Authority.

The Company has also uploaded the details of all such Shareholders, along with details of equity shares due for transfer to the IEPF Authority, on its website at <https://www.dlf.in/investor>. Shareholders can verify the details using their DP ID/ Client ID/ PAN/ Folio Number.

The Shareholders are advised to claim such unclaimed dividend amount(s) on or before 20th August 2026 from the Company.

In case the Company or KFin Technologies Limited, the Company's Registrar to an Issue and Share Transfer Agent ('KFin/ RTA') does not receive any communication from the concerned Shareholder on or before 20th August 2026, the unclaimed dividend amount(s) for FY 2018-19 will be transferred to the IEPF Authority. Furthermore, the equity shares will also be transferred to the IEPF Authority without any further notice to the Shareholders in the following manner:

- **In case you hold equity shares in physical form** – New share certificate(s) will be issued in lieu of the original share certificate(s) held by you, for the purpose of dematerialization and transfer of equity shares in favour of IEPF Authority upon completion of necessary formalities. Therefore, the original share certificate(s) registered in your name will be deemed cancelled and non-negotiable.
- **In case you hold equity shares in electronic form** – The Company will inform the Depository through a corporate action for the transfer of the equity shares lying in your demat account in favour of the IEPF Authority.

The concerned Shareholders are requested to note that all future benefits arising on such equity shares transferred to the IEPF Authority will also be issued/ transferred in favour of the IEPF Authority, in compliance with the provisions of the IEPF Rules and the Act.

The Shareholders are further advised that the details of unclaimed dividend amount(s) and equity shares of the concerned Shareholder(s), as uploaded by the Company on its website at <https://www.dlf.in/investor>, shall be deemed adequate notice regarding the issuance of the new share certificate(s) by the Company for the transfer of equity shares to the IEPF Authority, pursuant to the IEPF Rules.

Please note that no claim shall lie against the Company regarding the dividend amount(s)/ equity shares, once transferred to the IEPF Authority.

The concerned Shareholders whose unclaimed dividend amount(s)/ equity shares have been transferred to the IEPF Authority, can claim the same from the IEPF Authority by submitting an online application in the prescribed Web Form IEPF-5, after obtaining an entitlement letter from the Company and sending a physical copy of the same, along with the requisite documents, as enumerated in the Form IEPF-5, to the Company.

Further, as part of Second 100 days campaign – "Saksham Niveshak", Shareholders holding the equity shares in demat mode were requested to register the correct bank details (including your bank account no. and IFSC/MICR of your bank) along with other KYC information as per the applicable SEBI guidelines in your Demat Account with your Depository Participant and those shareholders holding the equity shares in physical form are requested to please contact RTA for updation of such details and to claim their unclaimed dividend(s) to avoid transfer of these dividend(s) and the corresponding equity shares to the IEPF Authority.

In case the Shareholders have any queries regarding the subject or the IEPF Rules, they may write to the Company at investor-relations@dlf.in or contact Mr. S. R. Ramesh of KFin Technologies Limited, the Company's RTA, at Selenium Building, Tower B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032, Telangana; Toll Free No. 1800 3094 001; Email: ainward.ris@kfinotech.com; Website: www.kfinotech.com

For DLF Limited

Sd/-

R.P. Punjani

Company Secretary and Nodal Officer

FCS: 3757

May 25, 2026
Gurugram

डीएलएफ लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: शॉपिंग मॉल, टीसरा तल, अर्जुन नगर
फेज-1, डीएलएफ सिटी, गुडवाय - 122 002 (हरियाणा)
CIN: L70101HR1963PLC002484
फोन: +91-124-4334200
वेबसाइट: www.dfl.in; ई-मेल: investor-relations@dfl.in

**सूचना**

**निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण
को इनिवटी शेयरों का अंतरण
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के अनुसार)**

यह सूचना निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और धनवापसी), नियम, 2016 और उस पर अनुवर्ती संशोधन ("आईईपीएफ नियम") के लागू प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुसरण में प्रकाशित की जाती है जिसमें आईईपीएफ प्राधिकरण को उन इनिवटी शेयरों के अंतरण के प्रावधान शामिल हैं जिसके संबंध में लाभांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक अदावाकृत है।

आईईपीएफ नियमों और अधिनियम के अनुपालन में सभी शेयरधारकों को उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर एक साथ व्यक्तिगत संचार भेजा गया है जिनकी लाभांश राशि पिछले वर्ष 2018-19 से लगातार 7 (सात) वर्षों तक दाय न की गई हो और जिनके इनिवटी शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए जाने के योग्य हो गये हैं।

कंपनी ने अपनी वेबसाइट <https://www.dfl.in/investor> पर आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए जाने के लिए दाय इनिवटी शेयरों के विवरणों के साथ ऐसे सभी शेयरधारकों का विवरण अपलोड भी किया है। शेयरधारक अपने डीपी आईडी/क्लाइंट आईडी/पैन/फोलियो नं. के माध्यम से विवरणों का सत्यापन कर सकते हैं।

शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे कंपनी से 20 अगस्त, 2026 तक या उससे पहले ऐसी दावा न की गई लाभांश राशि का दावा करें।

यदि कंपनी या केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, कंपनी के रजिस्ट्रार दू एन इश्यू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट (केफिन/आरटीए) को 20 अगस्त, 2026 तक या उससे पहले संबंधित शेयरधारक से कोई सूचना नहीं मिलती है तो वित्त वर्ष 2018-19 के लिए दावा न की गई लाभांश राशि आईईपीएफ को अंतरित कर दी जाएगी। इसके अलावा, आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित करने के योग्य इनिवटी शेयर भी शेयरधारकों को बिना किसी सूचना के निम्नलिखित तरीके से आईईपीएफ में अंतरित कर दिये जाएंगे:

- **भौतिक प्रारूप में धारित इनिवटी शेयरों के मामले में-** आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में इनिवटी शेयरों के डिमेटेरियलाइजेशन और अंतरण के उद्देश्य से आपके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्र के बदले में नया शेयर प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। इस प्रकार, आपके नाम पर पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र रद्द और गैर-परक्राम्य माना जाएगा।

- **इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में धारित शेयरों के मामले में-** कंपनी, आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में आपके डीमेट खाते में रखे इनिवटी शेयरों के अंतरण के लिए कॉर्पोरेट कार्रवाई के माध्यम से डिपॉजिटरी को सूचित करेगी।

संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित ऐसे इनिवटी शेयरों पर उत्पन्न होने वाले सभी भविष्य के लाभ भी आईईपीएफ नियमों एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में जारी / अंतरित किए जाएंगे।

शेयरधारक यह भी नोट करें कि कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट <https://www.dfl.in/investor> पर अपलोड किए गए संबंधित शेयरधारक (शेयरधारकों) के अदावाकृत लाभांश राशि और इनिवटी शेयरों का विवरण आईईपीएफ नियमों के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को इनिवटी शेयरों के अंतरण के उद्देश्य से कंपनी द्वारा नए शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में पर्याप्त सूचना के रूप में माना जाएगा।

कृपया ध्यान दें कि एक बार आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित होने के बाद कंपनी की लाभांश राशि/इनिवटी शेयरों के संबंध में कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जाएगा।

संबंधित शेयरधारक जिनकी दावा न की गई लाभांश राशि/इनिवटी शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित कर दिए गए हैं कंपनी से पात्रता पत्र प्राप्त करने और भेजने के बाद निम्नलिखित वेब फॉर्म आईईपीएफ-5 में ऑनलाइन आवेदन जमा करके आईईपीएफ प्राधिकरण के पास इसका दावा कर सकते हैं। कंपनी के पास फॉर्म आईईपीएफ-5 में दिए गए आवश्यक दस्तावेजों के साथ इसकी भौतिक प्रतिलिपि जमा करनी होगी।

इसके अलावा, दूसरे 100 दिवसीय अभियान - "सक्षम निवेशक" के तहत जिन शेयरधारकों के पास डीमेट गैट में इनिवटी शेयर हैं, उनको अनुरोध किया गया था कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपने डीमेट अकाउंट में लागू सही दिशानिर्देशों के अनुसार सही बैंक विवरण (आपके बैंक अकाउंट नंबर और आपके बैंक के आईएफएससी/एमआईसीआर सहित) तथा अन्य फेयर्सि जानकारी पंजीकृत करें और जिन शेयरधारकों के पास इनिवटी शेयर भौतिक प्रारूप में हैं उनसे अनुरोध है कि वे ऐसे अंतरण को अपडेट करवाने और अपने अदावाकृत लाभांश का दावा करने के लिए कृपया आरटीए से संपर्क करें ताकि ऐसे लाभांश और संबंधित इनिवटी शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित होने से बचाया जा सके।

इस विषय और आईईपीएफ नियमों पर किसी भी पूछताछ के लिए शेयरधारक कंपनी को investor-relations@dfl.in पर लिख सकते हैं या श्री एस. आर. रमेश, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, कंपनी के आरटीए से सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर बी, प्लॉट 31 एवं 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिगमपल्ली, हैदराबाद-500032, तेलंगाना टोल फ्री नं. 1800 3094 001, ई-मेल: einward.ris@kfintech.com वेबसाइट www.kfintech.com से संपर्क कर सकते हैं।

कृते डीएलएफ लिमिटेड
हस्ता./-

25 मई, 2026
गुरुग्राम

आर पी. पुंजानी
कंपनी सचिव एवं नोडल अधिकारी
एफसीएस: 3757